<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 103 / 13</u> <u>संस्थापन दिनांक:-16 / 04 / 13</u> फायलिंग नं. 233504000472013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोज</u>न

वि रू द्व

सुधीर पिता अतलसिंह जाट, उम्र 36 वर्ष निवासी कम्वलवाला बाग, नई मंडी, थाना नईमंडी, जिला मुज्जफरपुर (उ.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 11.05.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 07.04.2013 को समय 07:15 बजे करीब एयर फोर्स गेट के सामने तिराह बोड़खी थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत वाहन द्रक कृ. यू.पी.—12—टी—2894 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी कृष्णाबाई ने दिनांक 07.04.2013 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 07.04.2017 को मुसियाबाई सुबह करीब 07:15 बजे घूमकर घर वापस आ रही थी। जैसे ही वह एयर फोर्स के गेट के सामने पहुंची तभी पीछे से द्रक क. यू.पी. —12—टी—2894 का चालक द्रक को बड़ी तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी सास मुसियाबाई को ठोस मार दिया जिससे उसकी सास मुसियाबाई को सिर के पीछे तरफ, दांहिने कंधे पर चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में द्रक क. यू.पी.—12—टी—2894 के चालक के विरूद्ध अपराध क. 89/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से द्रक क. यू.पी—12—टी—2894 को मय रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, झ्यविंग लायसेंस के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आहत मुसियाबाई को अस्थिभंग पाये जाने से अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में आहत का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने वाहन द्रक क. यू.पी.—12—टी—2894 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 6 आहत मुसियाबाई (अ.सा.—3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना दो—तीन साल पहले की सुबह 7 बजे एयरफोर्स गेट के सामने बोड़खी की है। घटना के समय वह घूमकर अपने घर वापस आ रही थी। जैसे ही वह एयरफोर्स जिराहे के पास आई उसे पूछे से एक द्रक ने टक्कर मार दी जिससे वह गिर गयी थी और उसे सिर तथा कंधे पर चोट आयी थी।
- 7 कृष्णा (अ.सा.—1) एवं चिरोंजी (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना दो—तीन साल पहले की सुबह करीब 7 बजे एयरफोर्स गेट के सामने बोड़खी की है। घटना के समय वे लोग घर पर थे तभी उन्हें पहचान के कुछ लोगों ने घर पर आकर बताया था कि मुसियाबाई को एक द्रक ने टक्कर मारकर चला गया है। साक्षी कृष्णा (अ.सा.—1) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने थाना में प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी तथा पुलिस ने आकर मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 8 कृष्णा (अ.सा.—1), चिरोंजी (अ.सा.—2) एवं आहत मुसियाबाई (अ.सा.—3) ने अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण उक्त तीनों ही साक्षियों से अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त तीनों साक्षियों ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को एयरफोर्स के सामने द्क क. यू.पी.—12—टी—2894 के चालक ने द्क को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आहत मुसियाबाई को टक्कर मार दी थी। साक्षी मुसियाबाई ने स्वतः में व्यक्त किया है कि उसे द्क ने टक्कर मारी थी लेकिन कौन चला रहा था

और उसका नंबर क्या था उसे नहीं मालूम।

उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को कथित वाहन द्रक को अभियुक्त के द्वारा ही चलाया गया एवं उसके द्वारा द्रक को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया। अभियोजन साक्षीगण कृष्णा (अ.सा.-1), चिरोंजी (अ.सा.-2) एवं आहत मुसिया (अ.सा.-3) ने भी अभियुक्त द्वारा वाहन चलाये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। साक्षीगण ने अभियुक्त को पहचानने से भी स्पष्ट रूप से इनकार किया है। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि ध ाटना दिनांक को अभियुक्त सुधीर के द्वारा ही घटना में प्रयुक्त द्रक क. यू.पी. -12-टी-2894 को उपेक्षा एवं उतालेपन से चलाया जा रहा था।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

- उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने वाहन द्रक क. यू.पी.-12-टी-2894 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। फलतः अभियुक्त सुधीर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। 11
- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन द्रक क. यू.पी.-12-टी-2894 सुधीर कुमार पिता अतरसिंह निवासी कंबलवाला बाग नई मंडी मुज्जफर नगर उ.प्र. को मय दस्तावेज अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)